न्यायालय : अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,एटा।

JO Code-U.P.6374
सी.ए. 22/2015

श्रीमती वीना गुप्ता ——— बनाम ———— रमेश चन्द्र गुप्ता.

19.05.2022

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 55सी2 पर आदेश हेतु नियत है। उक्त प्रार्थनापत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रार्थनापत्र 55सी2 अपीलार्थी श्रीमती बीना गुप्ता की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील निर्णय दिनांक 24.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा प्रकीर्ण वाद 14/1993 दिनेश चन्द्र बनाम रमेश चन्द्र व प्रकीर्ण वाद 04/2000 रमेश चन्द्र बनाम दिनेश चन्द्र स्वीकार करते हुए प्रकीर्ण वाद संख्या 2/2000 केशवकांत बनाम रमेश चन्द्र एवं प्रकीर्ण वाद संख्या 05/2000 दिनेशचन्द्र बनाम रमेशचन्द्र को निरस्त करते हुए पारितकिया है और पंचाट फेसले को न्यायालय का नियम बनाते हुए पारित किया है। उपरोक्त विवादित पंचाट फैसला के द्वारा पंच महोदय ने यह आदेश किया कि श्री दिनेशचन्द्र गुप्ता व उनकी पत्नी श्रीमती बीना गुप्ता को अपने हिस्से की 18 बीघा भूमि का हस्तान्तरण श्री रमेशचन्द्र गुप्ता व श्रीमती उर्मिलादेवी गुप्ता व श्री अनिल कुमार गुप्ता को करें। सरकारी अभिलेख/खतौनी में भी उक्त भूमि श्री दिनेशचन्द्र गुप्ता के नाम वर्तमान में दर्ज है। विपक्षीगण ने राजस्व कर्मियों को धोखा देकर पंच निर्णय का बिना रूल ऑफ कोर्ट बनाये अपना नाम अंकित करा लिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने परगनाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया और विपक्षीगण

की प्रवृष्टि निरस्त कर दी गयी जिसके विरूद्ध विपक्षीगण ने आयुक्त के समक्ष पुर्नरीक्षण प्रस्तुत किया जो स्वीकार हुआ। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील प्रस्तुत की और बोर्ड के आदेश दिनांक 20.3.2017 से अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर परगनाधिकारी का आदेश बहाल रखा गया। यह आदेश अपील के लम्बनकाल का है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल किया जाना संभव नहीं था। विपक्षीगण द्वारा राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 20.02.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 23503 सन 2017 अनिल कुमार गुप्ता बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य के माध्यम से चुनौती दी। विपक्षी अनिल कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिट दिनांक 14.1.2020 को खारिज कर दी गयी यह आदेश भी अपील के लम्बनकाल का है जिसका अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल किया जाना मुमकिन नहीं था। अलावा इसके 1389–1402 फसली की फर्द का भी इस न्यायालय में दाखिल किया जाना इसलिए जरूरी है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस पक्षकार का कितना कितना हिस्स्सा है। उक्त सम्बन्धित खतौनी संलग्न फहरिस्त से इस पत्रावली पर श्रीमान जी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जा रही है जो कि अवर न्यायालय को विधि की पेचीदगियों की जानकारी न होने के कारण दाखिल नहीं की जा सकी थी। प्रार्थी ने कोई देरी जानबूझकर कारित नहीं की है। उक्त खतौनी पत्रावली में शामिल किया जाना न्यायालय को उचित निस्तारण हेतु अत्यन्त आवश्यक व सहायक होगी। इस तथ्य को साबित करने का भी भार विपक्षी पर ही था कि श्रीमती बीना देवी आदि को हस्तान्तरण का अधिकार था या नहीं किन्तु विपक्षी ने न्यायालय में उक्त खतौनी प्रस्तुत नहीं की जो कि एक लोक दस्तावेज है। विपक्षी स्वयं की त्रुटि का लाभ नहीं पा सकता है जबकि उक्त खतौनी को पत्रावली पर शामिल न किये जाने से प्रार्थी को सख्त हकतलफी हैं अतः संलग्न फहरिस्त से दाखिल खतौनी आदि को शामिल पत्रावली करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति 65सी2 विपक्षी सं02 अनिल कुमार की ओर से दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रार्थनापत्र गलत एवं निराधार तथ्यों को लिखकर विधि विरूद्ध रूप से महज अपील की सुनवाई में बिलम्ब कारित करने के उद्देश्य से दी गयी है जो लीगली मैन्टेबिल नहीं है। अपीलार्थी जिन अभिलेखों को अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत किये जाने की याचना जिन आधारों को लेकर की है वह हरगिज आलोच्य आदेश की वैधानिकता अथवा अवैधानिकता को किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं करते है इस कारण से उक्त प्रस्तुत साक्ष्य किसी प्रकार से उक्त अपील के निर्णाज्य रिलेवेन्ट नहीं है। इस कारण से अपील में उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपीलार्थी की बदनियती को एवं डिले कारित करना दर्शाता है। अपीलार्थी को उक्त संदर्भ में जो कार्यवाही परगनाधिकारी के यहॉ या आयुक्त के यहॉ जो प्रस्तुत हुयी का इल्क शुरू से ही था व रहा है जो किसी तरीके से अपीलार्थी के अभिज्ञान में न होना अथवा किसी प्रकार की डियू डिलीजेन्सी को दर्शित नहीं करता है। उक्त प्रार्थनापत्र में 20.02.2017 से पूर्व की किसी तिथि का उल्लेख अथवा किसी कार्यवाही का विवरण जानबूझकर नहीं लिखा है। अपीलार्थी का यह कथन कि उक्त प्रस्तुत अभिलेख उसको विधिक राय न मिल पाने के कारण पूर्व में दाखिल नहीं हो सकी यह कथन भी अपीलार्थी का खुद ख्वाहिस्ता झूॅठा एंव गलत है। अतः प्रार्थनापत्र अपीलार्थी हर आयना में निरस्त होने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा फहरिस्त कागजात 57ग के माध्यम से जिन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष दाखिल कर रहा है क्या वे कागजात इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष दाखिल किये जा सकते है अथवा नहीं। प्रत्यर्थी द्वारा **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था अन्दीसामीचेटियार बनाम सुब्बूराज चेटियार 2016 (1) सिविल कोर्ट केसेज 731, सुप्रीम कोर्ट** प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार

अपीलेट कोर्ट द्वारा कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उसी स्थिति में स्वीकार किया जाना चाहिए जब वह अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने से इंकार कर दिया गया हो लेकिन उसे स्वीकार किया जाना था या प्रार्थी यह साबित करता कि सम्यक सावधानी व सतर्कता के बाबजूद भी वह साक्ष्य को अवर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर पाया या ऐसा साक्ष्य उसकी जानकारी में नहीं था।

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वह जिन कागजातों को फहरिस्त के माध्यम से दाखिल करना चाह रहा है वह न्यायालय को वाद को प्रभावी रूप से निस्तारित करने के लिए यथोचित सहयोग प्रदान करेगा। देरी के सम्बन्ध में उसके द्वारा यह कहा गया है कि उचित विधिक राय न हो पाने के कारण उसने इस कागजात को अवर न्यायालय में दाखिल नहीं कर पाया। अपीलार्थी ने यह भी बताया है कि पंचाट निर्णय द्वारा अपीलार्थी व उसकी पत्नी बीना गुप्ता को अपने हिस्से की 18 बीघा जमीन का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी रमेश गुप्ता, उर्मिला गुप्ता व अनिल कुमार गुप्ता को करने का अधिनिर्णय दिया गया है। चूँकि उक्त कागजात जो वह दाखिल करना चाह रहा है वह उन्हीं पंचाट निर्णय की विषयवस्तु से सम्बन्धित है जो न्यायालय को तथ्य के सम्बन्ध में मामले को समझने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके बिपरीत प्रत्यर्थी द्वारा यह कहा गया है कि इस न्यायालय को केवल पंचाट अधिनिर्णय के वैधानिकता अथवा अवैघानिकता तक ही अपने को सीमित रखना है। अपीलार्थी मामले को बिलम्बित करना चाहता है उसे शुरू से ही फहरिस्त कागजात के सम्बन्ध में जानकारी थी विधिक राय न मिलने की बात झूँठी और काल्पनिक है। फहरिस्त दस्तावेज इस स्तर पर स्वीकार नहीं किये जा सकते है।

इस प्रकार उभय पक्षो के बहस के प्रकाश में इस न्यायालय का यह मानना है कि फहरिस्त दस्तावेज में जो खतौनी 58सी, 59सी व 60 सी दाखिल की जा रही है वह माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 61सी व

उद्धरण खतौनी 62 सी तथा राजस्व परिषद आदेश 63सी दाखिल किया जा रहा है वह प्रपत्र पंचाट अधिनिर्णय की विषयवस्तु से ही सम्बन्धित है इस प्रकार उक्त दस्तावेज वाद के निर्णयन में इस न्यायालय को तथ्य के सम्बन्ध में अध्यतन स्थिति से अवगत करा रही है। इस प्रकार फहरिस्त दस्तावेज से दाखिल कागजात सुसंगत कागजात है इन कागजातों को पत्रावली पर रखे जाने से पक्षकारों को प्रतिकूल रूप से कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि न्यायालय को मामले के निर्णयन में इन कागजातों के उपलब्ध रहने से सहयोग ही प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में **नूर एस. के. बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2011) 7 एस.सी.सी. 589** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार यदि आवेदन यह प्रकट करता है कि कोई अतिरिक्त साक्ष्य की सार्थकता व सुसंगतता मामले के निस्तारण के लिए आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त साक्ष्य अथवा अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थनापत्र 55ब स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अपीलार्थी श्रीमती बीना गुप्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 55ग उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है तथा फहरिस्त 57ग के साथ संलग्न दस्तावेज पत्रावलित हो। विपक्षी सं02 अनिल कुमार की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 65सी2 तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.05.2022 को पेश हो।

(**राम बाबू यादव**)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश,एस.सी./एस.टी.एक्ट,
एटा।